

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 626]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2013/पौष 9, 1935

No. 626]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2013/PAUSHA 9, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2013

सं. 133/2013-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 803(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 81 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क बैगेज घोषणा विनियमावली, 2013 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित और विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम:- इन विनियमों का नाम सीमा शुल्क बैगेज घोषणा (संशोधन) विनियमावली, 2013 है।
2. सीमा शुल्क बैगेज घोषणा विनियमावली, 2013 के पैरा 2 में, "01 जनवरी, 2014" शब्द और अंक अभिव्यक्ति के स्थान पर "01 मार्च, 2014" शब्द और अंक अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 520/13/2013-सीमाशुल्क-VI]

एस. सी. गंगर, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं. 90/2013-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 29 अगस्त, 2013, दिनांक 29 अगस्त, 2013 की सा.का.नि. सं. 584(अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2013

No. 133/2013-Customs (N.T.)

G.S.R. 803(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 81 of the Customs Act, 1962, the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations to amend the Customs Baggage Declaration Regulations, 2013, namely:—

- 1. Short title.**—These regulations may be called the Customs Baggage Declaration (Amendment) Regulations, 2013.
- 2.** In regulation 2 of the Customs Baggage Declaration Regulations, 2013, for the figures, letters and word “1st January, 2014”, the figures, letters and word “1st March, 2014” shall be substituted.

[F. No. 520/13/2013-Cus.VI]

S.C. GANGER, Under Secy.

Note : The principal notification No. 90/2013-Customs (N.T.), dated the 29th August, 2013 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 584(E), dated the 29th August, 2013.